संख्या–139 /77–4–18–16एन./04

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

एकाउन्टेंट जनरल,
भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग कार्यालय महालेखाकार,
गोमतीनगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग–4 लखनऊ :दिनांक 17 जनवरी, 2018

विषयः **उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एक्ट, 1976 के अधीन संचालित नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एथारिटी के साथ यूपीसीडा का भी आडिट सी0ए0जी0 से कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–977/77–4–17–16एन./04 दिनांक 11.07.2017 एवं शासनादेश संख्या–1588/77–4–17–16एन./04 दिनांक 25.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तात्कालिक प्रभाव से नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना प्राधिकरण के साथ उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) का भी आडिट सी0ए0जी0 से कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2. उक्त के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण में यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2005–2006 से लेकर अब तक का ऑडिट सी0ए0जी0 द्वारा कराया जाए तथा भविष्य में भी औद्योगिक विकास विभाग के अधीन सभी प्राधिकरणों का ऑडिट सी0ए0जी0 से ही कराया जाय।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–977/77–4–17–16एन./04 दिनांक 11.07.2017 एवं शासनादेश संख्या–1588/77–4–17–16एन./04 दिनांक 25.08.2017 को अवक्रमित करते हुए निर्गत शासनादेश प्रभावी समझा जाय।

4. कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Asinha
(आलोक सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/77–4–18–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे/गीडा/सीडा/लीडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) कानपुर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।